न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुभाष चंद्र**

तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का मनकसास,

बनाम

श्री दुर्गासिंह पुत्र समदर सिंह जाति राजपूत निवासी खौह तहसील उदयपुरवाटी

अर्तगत धारा 91 राज0 भू. राजस्व अधिनियम, 1956

–:निर्णय:–

प्रकरण संख्या:– 31/2021 दिनांक 26.10.2021

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी वकील उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का मनकसास ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत 2078 में मौजा ग्राम खौह पटवार हल्का मनकसास के हाल भूमि खसरा नम्बर 1406/74 कुल रकबा 0.76 है0 किस्म गै0 मु0 स्कूल फिल्ड में से 0.0252 है0 भूमि पर दुर्गासिंह पुत्र समदर सिंह जाति राजपूत निवासी खौह ने अनांधिकृत रुप से अतिक्रमण किया हैं। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जरिये वकील अपना जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी ने अपने जबाब में उल्लेखित किया किया कि उक्त आराजी पर उनका कदीमी कब्जा है। उक्त आराजी पर अप्रार्थी ने पुराने कब्जे के साक्ष्य में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा पेश किया। अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय डिप्टी कलक्टर झुंझुनूं के मिसल नं. 62/51 निर्णय दिनांक 17.01.1964 की प्रति पेश की जिसमें उक्त भूमि को उसकी निजी सम्पत्ती घोषित होना बताया। मुताबिक हल्का पटवारी रिपोर्ट उक्त भूमि मौजा ग्राम खौह पटवार हल्का मनकसास के हाल भूमि खसरा नम्बर 1406/74 कुल रकबा 0.76 है0 किस्म गै0 मु0 स्कूल फिल्ड में से 0.0252 है0 भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जो कि वर्तमान में स्कूल फिल्ड की खातेदारी भूमि है। अतः भूमि को मुताबिक जमाबंदी स्कूल फिल्ड की भूमि मानते हुए अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाये।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रुप अतिक्रमण करने के फलस्वरुप अतिक्रमि घोषित किया जाता हैं तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रुप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

वाके ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख के हाल भूमि खसरा नम्बर 1406/74 कुल रकबा 0.76 है0 किस्म गै0 मु0 स्कूल फिल्ड में से 0.0252 है0 भूमि पर से दुर्गासिंह पुत्र समदर सिंह जाति राजपूत निवासी खौह को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप शरह लगान 1 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 50/–रुपये (अक्षरे रू पच्चास मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू0अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि पर से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज **दिनांक 26.10.2021** को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.03.30 12:44:46 IST
Reason: SelfAttested

(सुभाष चंद्र)
तहसीलदार उदयपुरवाटी